निविदा विज्ञापन प्रारूप

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर (सामान्य) वनमण्डल सागर (म.प्र.)

Phone No. 07582-236215, E-mail- dfotssagar@mp.gov.in

ईमारती काष्ठ, जलाऊ काष्ठ के परिवहन हेतु संक्षिप्त निविदा/नीलाम सूचना की विज्ञप्ति वर्ष 2024–25

–00–

सागर वनवृत्त के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में दक्षिण सागर (सामान्य) वन मण्डल के कूपों में उत्पादित ईमारती काष्ठ/जलाऊ को निर्धारित डिपों तक परिवहन करने हेतु पविहन समूहों की निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित कार्यकम अनुसार प्राप्त निविदाएं वन वृत्त, कार्यालय सागर में ही निविदाकों के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित कार्यकम निम्नानुसार है –

क.	निविदा चक	संबंधित वन मण्डल कार्यालय (दक्षिण सागर सामान्य) वन मण्डल में निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय	वृत्त कार्यालय सागर में निविदा खुलने की तिथि एवं समय
1	प्रथम निविदा	दिनांक 24.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक	दिनांक 24.12.2024 को 03:00 बजे दिन से
2	द्वितीय निविदा	दिनांक 27.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक	दिनांक 27.12.2024 को 03:00 बजे दिन से
3	तृतीय निविदा	दिनांक 30.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक	दिनांक 30.12.2024 को 03:00 बजे दिन से
4	नीलाम (अवशेष परिवहन समूह हेतु)	दिनांक 31.12.2024 को सायं 4:30 बजे से वृत्त कार्यालय सागर में होगी।	

निविदा की शर्ते, परिवहन समूहों की सूची, टेण्डर फार्म एवं निविदा से संबंधित अन्य जानकारियों निविदा प्रकाशन होने के दिनांक से वन वृत्त के दक्षिण सागर सामान्य वन मण्डल में कार्यालयीन दिवस व समय पर उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। परिवहन समूहों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट (www.mpforest.gov.in) पर भी उपलब्ध होगी। निविदाकार के द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में यह माना जावेगा कि निविदाकार को निविदा की सभी शर्ते मान्य है। निविदाकार/बोलीदार को रूपये 3000/– (तीन हजार मात्र) सत्यंकार (EMD) की प्रत्येक समूह हेतु राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट (DD)/बैंक डिपाजिट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा किसी अधिसूचित बैंक का संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा फार्म राशि 100/– (सौ रूपये) अदाकर प्राप्त किए जा सकेंगे।

निविदा/नीलाम के संबंध में अन्य जानकारी दक्षिण सागर सामान्य वन मण्डल, सागर के कार्यालय दूरभाष कमांक 07582–236215 से भी प्राप्त की जा सकती है एवं विभागीय वेबसाईट (www.mpforest.gov.in) पर भी देखी जा सकती है।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, वनमण्डल

संक्षिप्त निविदा शर्तें :-

1. प्रत्येक परिवहन समूहों के लिये पृथक–पृथक निविदायें निर्धारित फार्म में जमा करना होगा।
2. प्रत्येक परिवहन समूहों के लिये निविदा के साथ सत्यंकार के रूप में रू. 3000/– (तीन हजार) की राशि का डिमांक बैंक ड्राफ्ट/सी.डी.आर. वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सागर वनमण्डल, सागर के पक्ष में संलग्न करना होगा।
3. निविदाकार को प्रत्येक समूह में 1000 घ.मी. ईमारती लकड़ी अथवा 3000 जलाऊ चट्टे के लिये कम से कम एक–एक ट्रक परिवहन कार्य में लगाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा। जो निविदाकार के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसके प्रमाण के लिये आर.टी.ओ. का पंजीयन तथा फिटनेश प्रमाण पत्र एवं वाहन के बीमा के कागजात संलग्न करना होगा।
4. परिवहनकर्ता का यह भी दायित्व होगा कि वह डिपों में परिवहन किये गये जलाऊ चट्टे निर्धारित आकार में बनाकर देना होगा।
5. परिहनकर्ताओं को परिवहन समूह में अनुमानित मात्रा से अधिकतम 125 प्रतिशत तक वनोपज की मात्रा का परिवहन करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा की विस्तृत शर्तो, परिवहन समूह की सूची तथा परिहवन कार्य से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी दक्षिण सागर सामान्य वनमण्डल सागर से किसी भी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। निविदाकार के द्वारा प्रत्येक निविदा के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर यह माना जावेगा कि निविदाकार को निविदा की सभी शर्ते मान्य है।
7. निविदा में किसी प्रकार का वाद/विवाद होने की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
8. परिवहनकर्ता हमाल रजिस्टर रखेंगे एवं हमालों की सूची संग्रहण करेंगे व सूची श्रम न्यायालय में देना होगा।
9. कूपो की संख्या एवं अनुमानित उत्पादन की मात्रा में कमी एवं बढ़ोत्तरी संभव है।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, वनमण्डल